

Vinodrajay
U.B.I
रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

O.S.
पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179132023A12468173
पंजीकरण की तिथि	17/10/2023
ई पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि	17/10/2023
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	7694880
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रूपये)	7695002
पंजीयन शुल्क (रूपये)	230847
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	731023
उप पंजीयक का नाम	RAJENDRA RAWAT
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 2

विक्रेता - स्वयं

नाम श्री मनोज रामचन्दानी
पिता/पति का नाम श्री जमनादास रामचन्दानी
पता 40, सर्वोदय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत


नाम श्री विद्याल रामचन्दानी
पिता/पति का नाम श्री जमनादास रामचन्दानी
पता 40, सर्वोदय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

खरीदार - स्वयं

नाम श्री अमृतलाल पटेल
पिता/पति का नाम श्री रतनशी भाई पटेल
पता द्वारका भवन, रणछोड नगर-4, राजकोट (गुजरात) हाल मुकाम, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत


नाम श्री चेतन पटेल
पिता/पति का नाम श्री वल्लभ भाई पटेल
पता 57, पटेल नगर, सपना संगीता रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by RAJENDRA
SINGH RAWAT
Date: 2023.10.17
10:49:05 IST





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड 01011713102023016912
ई स्टाम्प राशि (रुपए) 731023
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए) 384746
जनपद ड्यूटी (रुपए) 76951
छूट दी गई राशि (रुपए) 0
ई स्टाम्प का प्रकार गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय 13/10/2023 23:08:53
चक्र आईडी / जारीकर्ता REKHA BANSAL/SP011743108201500001
एस पी / एस आर ओ / G-2, PRATEEK APPARTMENT, 56 BHAGWANDEEN NAGAR, INDORE (M.P.)-452001
डी आर ओ / एच ओ विवरण इन्दौर इंदौर

डीड विवरण

विलेख का प्रकार हस्तांतरण-पत्र
लिखत हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रमार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत।

उद्देश्य

विक्रय पत्र

पहले पक्ष के विवरण

नाम श्री विशाल रामचन्दानी
पता 40, सर्वोदय नगर
व्यक्तियों की संख्या 2

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम श्री अमृतलाल पटेल
पता द्वारका भवन, रणछोड नगर-4, राजकोट (गुजरात) हाल मुकाम
व्यक्तियों की संख्या 2

विक्रेतापक्ष :- 1. श्री मनोज रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी 2. श्री विशाल रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी दोनों निवासी- 40, सर्वोदय नगर, इन्दौर (म.प्र.) एवं क्रेतापक्ष :- 1. श्री अमृतलाल पटेल पिता श्री रतनशी भाई पटेल निवासी- द्वारका भवन, रणछोड नगर-4, राजकोट (गुजरात) 2. श्री चेतन पटेल पिता श्री बल्लभ भाई पटेल निवासी- 57, पटेल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

::- श्री गणेशाय नमः -::
::- विक्रय पत्र -::

(वार्ड नंबर 63)

{भूखण्ड क्रमांक 656 " स्नेह नगर " योजना क्रमांक 31}
{ट्रिफिक रूट क्रमांक 6 व 7, सपना संगीता रोड से अन्दर, इन्दौर मध्यप्रदेश}

व्यवहार मूल्य रूपये 76,95,002/-

स्टॉम्प ड्यूटी रूपये 3,84,746/-

नगर निगम ड्यूटी रूपये 2,30,851/-

जनपद ड्यूटी रूपये 76,951/-

उपकर ड्यूटी रूपये 38,475/-

कुल देय ई-स्टॉम्प ड्यूटी..... रूपये 7,31,023/-

कुल देय पञ्जीयन शुल्क..... रूपये 2,30,847/-

1. श्री मनोज रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी

(PAN- AEHPR6323L)

2. श्री विशाल रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी

(PAN- AJCPR3960K)

दोनो निवासी- 40, सर्वोदय नगर,

इन्दौर (म.प्र.)

.....विक्रेतापक्ष

एवं

1. श्री अमृतलाल पटेल पिता श्री रतनशी भाई पटेल

(PAN- AJJPP0126F)

निवासी- द्वारका भवन, रणछोड नगर-4, राजकोट (गुजरात)

2. श्री चेतन पटेल पिता श्री वल्लभ भाई पटेल

(PAN- ANJPP9393H)

निवासी- 57, पटेल नगर, सपना संगीता रोड,

इन्दौर (म.प्र.)

.....क्रेतापक्ष



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर यह विक्रय पत्र निष्पादित कर देने वाले 1. श्री मनोज रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी 2. श्री विशाल रामचन्दानी पिता श्री जमनादास रामचन्दानी दोनों निवासी- 40, सर्वोदय नगर, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हे आगे इस लेख में सुविधा एवं सक्षिप्तता की दृष्टि से " विक्रेतापक्ष " शब्द से सम्बोधित किया गया है, इस सम्बोधन में विक्रेतापक्ष स्वयं एवं विक्रेतापक्ष के समस्त वारसान, वैध प्रतिनिधि, निष्पादक आदि का समावेश है) एवं यह विक्रय पत्र अपने पक्ष तथा हित में लिखवा लेने वाले 1. श्री अमृतलाल पटेल पिता श्री रतनशी भाई पटेल निवासी- द्वारका भवन, रणछोड नगर-4 राजकोट (गुजरात) 2. श्री चेतन पटेल पिता श्री वल्लभ भाई पटेल निवासी- 57, पटेल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.) (जिन्हे आगे इस लेख में सुविधा एवं सक्षिप्तता की दृष्टि से " क्रेतापक्ष " शब्द से सम्बोधित किया गया है, इस सम्बोधन में क्रेतापक्ष स्वयं एवं क्रेतापक्ष के समस्त वारसान, वैध प्रतिनिधि, निष्पादक आदि का समावेश है) इन्हो के हित में निम्नानुसार लिख देते हैं कि :-

1. यह कि, विक्रेतापक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड, जो इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 31, ट्रेफिक रूट क्रमांक 6 व 7, खेह नगर, इन्दौर (म.प्र.) यहाँ पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 656 का है। सदर भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने श्री मनोज राय पिता श्री कालीलाल राय निवासी- फ्लेट क्रमांक 202, भवानी अपार्टमेंट, 6, भवानीपुर कालोनी, इन्दौर (म.प्र.) से श्रीमान उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर-2 जिला इन्दौर के समक्ष दिनांक 12.08.2022 को पंजीकृत विक्रय पत्र ई-पंजीकरण संख्या MP179132022A1837997 बजयें पूर्ण वैधानिक रूप एवं अपनी-अपनी निजी आय के जरिये क्रय किया हुआ है, तथा क्रय दिनांक से ही विक्रेतापक्ष सदर भूखण्ड का मालिक नाते से उपयोग उपभोग बिना किसी व्यवधान के करते आ रहे है। इस प्रकार सदर भूखण्ड के विषयक समस्त कार्य एवं कार्यवाहियां, व्यवहार, विक्रय अन्तरण आदि करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार विक्रेतापक्ष को प्राप्त है। सदर भूखण्ड का विक्रय विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को किया है, जिसका वर्णन एवं चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

-: विक्रीत सम्पत्ति का वर्णन :-

विक्रीत भूखण्ड, जो इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 31, ट्रेफिक रूट क्रमांक 6 व 7, खेह नगर, इन्दौर (म.प्र.) यहाँ पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 656 का है। सदर भूखण्ड की चौड़ाई 40 फीट एवं लम्बाई 60 फीट होकर योग क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट (अर्थात् 223.04 वर्गमीटर) है। सदर भूखण्ड वर्तमान में रिक्त अवस्था में होकर इस पर किसी भी प्रकार कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। सदर भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग एवं उपभोग का है। सदर भूखण्ड मुख्य मार्ग सपना संगीता रोड से हटकर अन्दर की ओर कालोनी में स्थित है। सदर भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था भूखण्ड के पश्चिम दिशा की ओर स्थित रोड से होकर है। सदर विक्रीत भूखण्ड की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में : भूखण्ड क्रमांक 643
पश्चिम में : रोड
उत्तर में : भूखण्ड क्रमांक 655
दक्षिण में : भूखण्ड क्रमांक 657



राजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



2. यह कि, ऊपर लिखे मुजब चतुसीमा के मध्य स्थित भूखण्ड को मय मालिकी अधिकारो सहित विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को कुल कीमत रूपये 76,95,002/- (अक्षरी रूपये छियौत्तर लाख पिचयानवे हजार दो मात्र) मे विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की चूकता धनराशि विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

-: रकम प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

रूपये 2,50,000/- अक्षरी रूपये दो लाख पचास हजार मात्र Bank Of Baroda नवलखा शाखा इन्दौर के चेक क्रमांक 000043 जारी दिनांक 05.08.2023 के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 2 से प्राप्त किये ।

रूपये 2,50,000/- अक्षरी रूपये दो लाख पचास हजार मात्र Bank Of Baroda नवलखा शाखा इन्दौर के चेक क्रमांक 000046 जारी दिनांक 14.08.2023 के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 2 से प्राप्त किये ।


रूपये 5,00,000/- अक्षरी रूपये पाँच लाख मात्र दिनांक 17.08.2023 को RTGS जिसका UTR No. BARBR52023081700907660 है, के के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 2 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 2 से प्राप्त किये ।

रूपये 19,04,513/- अक्षरी रूपये उन्नीस लाख चार हजार पाँच सौ तेरह मात्र दिनांक 24.08.2023 को RTGS जिसका UTR No. BARBR52023082400989268 है, के के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 1 से प्राप्त किये ।

रूपये 19,04,513/- अक्षरी रूपये उन्नीस लाख चार हजार पाँच सौ तेरह मात्र दिनांक 24.08.2023 को RTGS जिसका UTR No. BARBR52023082400989056 है, के के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 2 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 1 से प्राप्त किये ।

रूपये 14,04,512/- अक्षरी रूपये चौदह लाख चार हजार पाँच सौ बारह मात्र दिनांक 24.08.2023 को RTGS जिसका UTR No. BARBR52023082400769949 है, के के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 2 से प्राप्त किये ।

रूपये 14,04,512/- अक्षरी रूपये चौदह लाख चार हजार पाँच सौ बारह मात्र दिनांक 24.08.2023 को RTGS जिसका UTR No. BARBR52023082400769051 है, के के जरिये विक्रेतापक्ष क्रमांक 2 ने क्रेतापक्ष क्रमांक 2 से प्राप्त किये ।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

रूपये 19,238/- अक्षरी रूपये उन्नीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र दिनांक 25.08.2023 को TDS जिसका BSR Code 0002271 Challan No. 30878 के जरिये क्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 के आयकर खाते में जमा किये।

रूपये 19,238/- अक्षरी रूपये उन्नीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र दिनांक 25.08.2023 को TDS जिसका BSR Code 0002271 Challan No. 31532 के जरिये क्रेतापक्ष क्रमांक 1 ने विक्रेतापक्ष क्रमांक 2 के आयकर खाते में जमा किये।

रूपये 19,238/- अक्षरी रूपये उन्नीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र दिनांक 25.08.2023 को TDS जिसका BSR Code 0002271 Challan No. 07257 के जरिये क्रेतापक्ष क्रमांक 2 ने विक्रेतापक्ष क्रमांक 1 के आयकर खाते में जमा किये।

रूपये 19,238/- अक्षरी रूपये उन्नीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र दिनांक 25.08.2023 को TDS जिसका BSR Code 0002271 Challan No. 08908 के जरिये क्रेतापक्ष क्रमांक 2 ने विक्रेतापक्ष क्रमांक 2 के आयकर खाते में जमा किये।

रूपये 76,95,002/- अक्षरी कुल रूपये छियौत्तर लाख पिंच्यानवे हजार दो मात्र


उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति की अभिरक्षकृती विक्रेतापक्ष इस लेख पर अपने हस्ताक्षर कर क्रेतापक्ष को प्रदान करते हैं। अब इस विक्रय प्रतिफल बाबद् कोई धनराशि लेना-देना शेष रहा नहीं है।

3. यह कि, उक्त चरण एक में वर्णित " विक्रीत सम्पत्ति " को आगे इस विक्रय पत्र में सुविधा की दृष्टि से सक्षिप्त रूप में " उक्त सम्पत्ति " के नाम से सम्बोधित किया गया है।

4. यह कि, उक्त सम्पत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमन्त कब्जा मय असल दस्तावेजों के मौके पर उपस्थित होकर विक्रेतापक्ष द्वारा आप क्रेतापक्ष को सुपूर्द कर दिया है। जिसे क्रेतापक्ष ने प्राप्त कर लिया होकर पूर्णतः अपनी संतुष्टि कर ली है।

5. यह कि, उक्त सम्पत्ति विक्रेतापक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर इसे प्रतिफल के फलस्वरूप हस्तांतरित करने तथा आप क्रेतापक्ष के हित में यह विक्रय-पत्र निष्पादित कर देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

6. यह कि, उक्त सम्पत्ति पर आज पंजीयन दिनांक तक लगने वाले समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय टेक्सेस ड्यूज, सम्पत्ति कर, सोसायटी मेन्टेनेंस, बिजली बिल, जलकर आदि अदा करने की जवाबदारी विक्रेतापक्ष की होगी तथा पंजीयन दिनांक के पश्चात् इस दायित्व का निर्वाह क्रेतापक्ष के द्वारा किया जावेगा।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



7. यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा यह घोषित एवं निश्चित करते है कि उक्त सम्पत्ति उनके द्वारा इस विक्रय से पूर्व तथा आप क्रेतापक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को दान, बक्षीस, बिक्री, जमानत, रहन, आदि रीति से या अन्य रीति से अंतरित या हस्तांतरित की हुई नहीं है। विक्रेतापक्ष द्वारा उसे किसी लिखित या मौखिक वचन अथवा पारिवारिक व्यवस्था पत्र आदि का निष्पादन नहीं किया है।
8. यह कि, उक्त सम्पत्ति के मालिकी व स्वत्व के सम्बन्ध में वर्तमान में किसी प्रकार का पारिवारिक, न्यायिक या अन्य किसी प्रकार का कोई विवाद लम्बित नहीं है और ना ही उक्त सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई हक्क, अधिकार, स्वत्व आदि ही है। उक्त सम्पत्ति समस्त प्रकार के भार व बोझों से मुक्त है।
9. यह कि, उक्त सम्पत्ति बाबद् जो हक्क, अधिकार, स्वत्व, आगम, सुखाधिकार विक्रेतापक्ष एवम् उनके उत्तराधिकारियों में निहित है, वे सब इस लेख के द्वारा आप क्रेतापक्ष में समाविष्ट हो गये है आज दिनांक से आप क्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति का स्वेच्छानुसार उपयोग-उपभोग व अन्तरण आदि करने के लिए स्वतंत्र है, इसमें विक्रेता या उनके किसी वारसान को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी।
10. यह कि, उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद् आप क्रेतापक्ष संबंधित शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी, कार्यालयों में उक्त सम्पत्ति से संबंधित रेकार्ड्स में अपने व्यय से अपना नामांतरण करवा सकेगें। इस कार्यवाही में विक्रेतापक्ष पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिये वचनबद्ध रहेगे एवं उक्त सम्पत्ति में विक्रेतापक्ष को प्राप्त समस्त सुखाधिकारों को भी क्रेतापक्ष को अंतरित कर दिये है।
11. यह कि, उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व बाबद् किसी भी प्रकार का विवाद अथवा दोष विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के लिए होना पाया गया या इस सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति, संस्था ने अपना हक्क, अधिकार सिद्ध किया या इस विक्रय व्यवहार में किसी प्रकार की आपत्ति की तो उसके निराकरण की जवाबदारी सव्यय विक्रेतापक्ष की रहेगी आप क्रेतापक्ष को किसी प्रकार की नुकसानी अथवा परेशानी होने नहीं देंगे एवं आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर करवाने का दायित्व भी सव्यय विक्रेता पर रहेगा।
12. यह कि, इस विक्रय पत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द-वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में अधिक पभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता पडने पर विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष के निवेदन एवं अपने स्वयं के व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधन पत्र, सहमति पत्र, एडमिशन डीड, शपथ-पत्र, प्रार्थना पत्र, उत्तर आदि के निष्पादन एवं आवश्यकता पडने पर उसको पंजीकृत करवाने के लिये सदैव तत्पर रहेगें।
13. यह कि, आज अंतरित की जा रही प्रश्नाधीन सम्पत्ति को विक्रेता द्वारा अथवा विक्रेता के किसी प्रतिनिधि या समनुदेशिनी या उसके अभिकर्ता (एजेन्ट) के द्वारा आज दिनांक तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा पूर्व में हस्तांतरित या स्थायी रूप से अन्य को सक्रान्त नहीं करा गया है। अर्थात् इस अंतरण से पंजीयन अधिनियम की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं होता है।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


14. यह कि, इस विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन में लगने वाले समस्त व्यय क्रेतापक्ष द्वारा वहन किये गए हैं।

अतः यह विक्रय पत्र शहर इन्दौर में विक्रेतापक्ष ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी धौंस दबाव के स्वस्थ मानसिक दशा में बिना किसी प्रकार का नशा पानी किये साक्षीगणों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर से क्रेतापक्ष के हित में निष्पादित कर दिया, सो सही। ताकि वक्त जरूरत काम आवे। इति।
स्थान: इन्दौर मध्यप्रदेश।

उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार इस विलेख का प्रारूप मैंने तैयार किया है, पक्षकारों, गवाहों की पहचान व संपत्ति तथा इस विक्रय व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है।

गोपाल बंसल (एडव्होकेट)
FF-1, एन.जे. टॉवर, 90, पंढरीनाथ चौराहा,
इन्दौर (म.प्र.) मोबाईल 9827027019


-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1797202309771658						
संपत्ति का प्रकार	भूखंड						
संपत्ति का सीमा चिन्ह :	--						
संपत्ति का पता :	भूखण्ड क्रमांक 656 " खेह नगर " योजना क्रमांक 31, ट्रेफिक स्ट क्रमांक 6 व 7, सपना संगीता रोड से अन्दर, इन्दौर मध्यप्रदेश						
विकास खण्ड (विकास खंड) :	--						
राजस्व निरीक्षक वृत्त :	--						
लेआउट का विवरण :	--						
नजूल / शीट क्रमांक :	--						
भूखण्ड क्रमांक :	--						
खसरा का विवरण और चतुसीमा का विवरण							
खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	कृषि पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
656	223.04	0	0	भूखण्ड क्रमांक 655	भूखण्ड क्रमांक 657	भूखण्ड क्रमांक 643	रोड
अतिरिक्त अपलोड							
TDS_0.jpg							
TDS_1.jpg							
TDS_2.jpg							
TDS_3.jpg							
जिला	इंदौर						
तहसील	इन्दौर						
क्षेत्र प्रकार	नगरीय क्षेत्र						
अधिशाली नगरीय निकाय : नगर निगम इंदौर							
वार्ड : वार्ड न0 63 (नवलखा)							
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : स्कीम 31, खेह नगर, स्ट क्रमांक 6, 7, पटेल नगर, स्कीम 47,							





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	223.04
कुल क्षेत्रफल में से आवासीय क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	223.04
कुल क्षेत्रफल में से व्यावसायिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल में से औद्योगिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल में से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित शैक्षिक इकाईयों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ने आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया	--
कुल क्षेत्रफल में से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सेवायों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या ने आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया है?	--
कुल क्षेत्रफल में से अन्य उपयोग का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
क्या भूखण्ड केवल आवासीय सह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है	नहीं

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु) 0.0


कुल देय शुल्क (रु) 731023.0

प्रतिफल राशि (रु)

छूट पंजीयन शुल्क (रु) 0.0

कुल देय पंजीयन शुल्क 230847.0

7695002





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं परिस्थितियों को, दस्तावेज के आईडी 36461701 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011713102023016912 सहित, एकद्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नलिखित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

Date- 13/11/2023


प्रथम पक्षकार / पक्षकारों के हस्ताक्षर विशाल रामचन्द्राणी
नाम तथा पिता का नाम

[मनोहर रामचन्द्राणी पिता श्री] [विशाल रामचन्द्राणी पिता]
[जमनादास रामचन्द्राणी] [श्री जमनादास रामचन्द्राणी]
द्वितीय पक्षकार / पक्षकारों के हस्ताक्षर प्रेतम पटेल
नाम तथा पिता का नाम प्रेतम पटेल

[अमृतपटेल पिता श्री रामचन्द्राणी शर्मा पटेल] [चंद्रन पटेल पिता श्री कल्याण शर्मा पटेल]

अन्य पक्षकार / पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम

नंबर 1 का नाम वैशाली शर्मा नंबर 2 का नाम विशाल रामचन्द्राणी
पता 201, पुष्पमाला अपार्टमेंट पता 117/147 02, अमृतम नगर
हस्ताक्षर 123 विभा हस्ताक्षर विशाल
आईडी का रजिस्ट्रार तथा नम्बर 7061 0386 3143 आईडी का रजिस्ट्रार तथा नम्बर 59 22 98 807413





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

- सम्पत्ति का वर्णन -

विशेष भूखण्ड जो इन्डौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 31 ट्रेडिग स्टड क्रमांक 6 व 7, स्नेह नगर इन्डौर (म.प्र.) वर्ग पर विश्व भूखण्ड क्रमांक 656 का है। इस भूखण्ड की लम्बाई 30 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। इसका योग क्षेत्रफल 2400 वर्गमीटर (अर्थात् 223.04 वर्गमीटर) है।

पश्चिमपट्टा

उत्तरपट्टा -

1 श्री मंगेश पिला श्री जयनादास रामचन्द्रजी	1 श्री जगदलाल पटेल पिला श्री रत्नगणी भाई पटेल
2 श्री विशाल पिला श्री जयनादास रामचन्द्रजी	2 श्री देवत पटेल पिला श्री वल्लभ भाई पटेल
पता निवासी: 25 स्वयंसेवा - नगर	पता निवासी: 25 स्वयंसेवा - नगर
इन्डौर - 47	इन्डौर - 47

- उत्तर

संख्या: 197/2023

पश्चिम पट्टा

भूखण्ड क्रमांक 656
योजना क्रमांक 31 ट्रेडिग स्टड
क्रमांक 6 व 7
स्नेह नगर
इन्डौर - 47

- पूर्व

संख्या: 197/2023

- दक्षिण -

संख्या: 197/2023


कारवाही-विशेषागत

कारवाही-प्रस्ताव

(Signature)

(Signature)

(Signature)





नगर पालिक निगम इंदौर

क्रमांक
PMT/IND/0152/5574/2023

दिनांक 26-नवम्बर-2023

प्रति

1. SHRI AMRATLAL S/O SHRI RATANSHI BHAI PATEL 2. SHRI CHETAN S/O SHRI VALLABH BHAI PATEL
656 SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ आपका आवेदन पत्र क्रमांक IND/IND/IND/0152/5933/2023

आपके संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में निम्न विवरण अनुसार भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था शपथ पत्र अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु प्रकोष्ठ विकस्य प्रतिबधित ।

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 18 / 63
2. कॉलोनी का नाम : sneh nagar (scheme 31) - O
3. भूखंड क्रमांक : 656
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
12.190	18.280	222.910	222.910

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 278.640
Consumed FAR	: 1.230	Proposed Builtup Area	: 275.060
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 110.67
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 34.580
		Permissible Ground Coverage	: 0.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	275.06	0.00	0.0000	0.00	3.05	2.50	3.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	77.09	0.00	0.0000	0.00	77.09	19.54
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	14.48
Single	3	FLOOR01	0.00	104.50	0.00	0.0000	0.00	104.50	32.87
Single	4	FLOOR02	0.00	93.47	0.00	0.0000	0.00	93.47	43.78

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/IND/0152/12071/2023	97713.00	RCPT/IND/0152/16720/2023	11/23/2023	Online



नगर पालिक निगम इंदौर

RCPT/IND/0152/12071/ 2023	50145.00	RCPT/IND/0152/16725/2 023	11/23/2023	Online
RCPT/IND/0152/11650/ 2023	200.00	RCPT/IND/0152/15896/2 023	11/1/2023	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **25-नवम्बर-2026** तक विद्यमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे ही स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञापत्री संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वावाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढ़ी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंस सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंस इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिष्कार करने पर उसी पुराने निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाए गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के दुरुपयोग पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निरस्त अथवा प्रति सहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा नगर पालिक निगम की जल संचयन शर्तों से अनुपालन कराने हुए दम आशय का पनापन-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई एस कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पाकिंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (ख) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवसीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तल जल, मल ही निगम की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रनेज लाइन से जोड़े तथा नगर पालिक निगम, विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन पी टू) डायमीटर का आर्सेसी पार्प डाला जाये। बहुआवसीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डाले, यह मुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जाये। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जाये। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाये।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन का व्यवस्था करना होगा। अग्निशमन अनापत्ति आधुनिक सह संसाधक नगरीय प्रशासन एवं विकास बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के परचात ही अधिगण प्रमाण पत्र जारी किए जावेने अधिभाग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/सहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भूखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।



URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

Indore



Payment Receipt

File Number : IND/IND/IND/0152/5933/2023 Receipt No. : RCPT/IND/0152/16720/2023
Owner Name : Shri/Smt:1. SHRI AMRATLAL S/O SHRI RATANSHI BHAI PATEL 2. SHRI CHETAN S/O SHRI VALLABH BHAI PATEL Receipt Date : 23-Nov-2023
Owner Address : Z/W:656 SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE
Architect : Bhupendra Narayan Patidar Demand Note No : DMD/IND/0152/12071/2023
Plot No. : 656
Zone: 18 Ward: 63 Colony: sneh nagar (scheme 31) - O

This receipt confirms the payment of fee by the owner with the details below for the file number mentioned above.

SINo	Fee Name	Amount (Rs)	Remarks	Previous Paid Amount (Rs)
1	Development fees	0.00		
2	Demolition Charges	19300.00		
3	Water Harvesting Charges	10000.00		
4	ApplicationFee	76.00		
5	waterharvesting -commitment charges	1.00		
6	Premium on FSI	1.00		
7	Toilet fees	1200.00		
8	Parking covered committment charges	1.00		
9	Narmada capital renewal fee	8450.00		
10	PermissionFee	4000.00		
11	Drainage connection Excavation fees	1200.00		
12	Rain/Roof water harvesting fees IMC	4155.00		
13	Residential Fees	38600.00		
14	Solid Waste	2399.00		
15	form purchase fees	1.00		
16	Commercial Fees	1.00		
17	Plot division fees	1.00		
18	Water connection Excavation fees	1200.00		
19	Parking Commitment Shulk	1.00		

Note : It is Abpas2 system generated receipt, does not require any signature



FRONT ELEVATION

REAR ELEVATION

SECTION AT- BB

SECTION AT- AA



DRAWING STATUS
MUNICIPAL DRAWING

DRAWING TITLE
FLOOR PLANS ELEVATION & SECTIONS

PROJECT INFORMATION
 DIVISION: MUGSRE JZONE NO: 18
 STREET: MUGSRE WARD NO: 03
 SUB NAME: MUGSRE PLOT NO: 066
 SUB TYPE: MASTERPLAN
 COLONY NAME: SHEEP WAGAR SCHEME PT. D

PROJECT DETAILS
 CASE TYPE: ERECT
 JURIST TYPE: MUGS
 LAND USE: RESIDENTIAL
 LAND-USE: RESIDENTIAL
 BUILDING USE: RESIDENTIAL
 ACTIVITY: RESIDENTIAL DWELLING UNIT DETACHED TYPE

ACTIVITY
 A: BUILT UP AREA: 222 SF
 B: DEDICATIONS/AREA TO ROAD/WIDENING + OTHERS: 0
 C: NET PLOT AREA (A+B): 222 SF

ENCL. DESCRIPTION
 D1: NET PLOT AREA: 222 SF
 D2: FAR RATIO: 1.28
 D3: TOTAL BUILT UP AREA: 275.36
 D4: BUILT UP AREA: 275.36
 D5: CIRCULAR COVERAGE: 0
 D6: CIRCULAR COVERAGE AREA: 0
 D7: BUILDING HEIGHT: 12.00
 D8: TROCHAE: 12.19
 D9: ROAD WIDTH: 8
 D10: ROAD WIDE: 8.03
 D11: ROAD WIDE: 8.03
 D12: ROAD WIDE: 8.03
 D13: SIDE WIDE: 3
 D14: SIDE WIDE: 3
 D15: SIDE WIDE: 3

OTHER AREAS
 D1: NON-FAR AREA: 0
 D2: TOTAL FAR AREA: 360.75
 D3: PARKING AREA: 10.06
 D4: EXISTING COVERAGE AREA: 0
 D5: EXISTING BUILT UP AREA: 0
 D6: NO OF TREES REQUIRED: 0

DRAWING INFORMATION
 DRAWN BY: SHEET: 002 SHEET NO: 001
 CHECKED BY: DATE: SCALE: N

CERTIFICATE OF AREA
 CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON AND THE DIMENSIONS OF THE PLOT ETC. AS STATED ON THE PLAN AREA AS MENTIONED ON THE ERECT AND THE AREA AS MENTIONED ON THE PLAN AND THAT THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP IS ACCORDING TO THE PLANNING SCHEME RECORDS.

CONSULTANT INFORMATION
 CONSULTANT: DIVISION: SIGN OF CONSULTANT
 REGISTERED NUMBER: 1910

OWNER'S NAME & ADDRESS
 OWNER'S NAME & ADDRESS: SHEEP WAGAR PT. D SHEEP WAGAR PLOT NO. 66 MUGSRE WARD NO. 03 SHEEP WAGAR SCHEME NO. 18 MUGSRE

IC NAME
 IC NAME: MUGSRE
 IC NAME: MUGSRE
 IC NAME: MUGSRE
 IC NAME: MUGSRE

SCALE OF APPROVAL

PLANNING SCHEME NO. 18 OF 2010 (REV. 2012)

कार्यालय नगर पालिका निगम, इन्दौर

सम्पत्तिकर विभाग

नामांतरण दफ्तर

(यह एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जो भारतीय राजस्व अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत जारी किया गया है)

दिनांक 10/01/2023

दिनांक 24/01/2023

पिन/सर्विस नं. 1001307592

क्रमांक 355

श्रीमान/श्रीमती मनोज पिता जमनादास रामचन्द्राणी विद्याल पिता जमनादास रामचन्द्राणी

विषय- नामांतरण शुल्क नं. 750/... पालिका निगम, इन्दौर पिन/सर्विस क्रमांक 1001307592 पर नामांतरण करना है।

आपका पत्र क्रमांक 364 दिनांक 10/01/2023 को इस कार्यालय में प्राप्त होने से आपका सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम इन्दौर की कमुटी का पुरतिका में भूखण्ड मकान नं. 'पता' नं. 656 गोलानी/मोहल्ली एच नगर इंदौर श्री मनोज पिता कोनेनाथ राय के स्थान पर श्रीमान/श्रीमती मनोज पिता जमनादास रामचन्द्राणी विशाख पिता जमनादास रामचन्द्राणी का नाम अंतिम किया गया है।

(1) नामांतरण शुल्क 750/- पालिका निगम 1520299352 दिनांक 10/01/2023

(2) राजस्व शुल्क 110/- पालिका निगम 1520299351 दिनांक 10/01/2023

(3) जाहिर सूचना दिनांक 12/01/2023 को समाचार पत्र ... प्रकाशित

सम्पत्ति का आयाम विवरण

G.F RCC 1200 RESI SELF

F.F RCC 1200 RESI SELF

सहायक (राजस्व अधिकारी) नगर पालिका निगम, इन्दौर

- आपत्ति व किसी भी प्रकार की किराया स्थिती व बंधन जानकारी अथवा न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिती में किया गया नामांतरण दिना सूचना दिए स्वतः ही निरस्त माना जावे, जानकारी
- यह नामांतरण केवल कर-संग्रहण के उद्देश्य के लिए ही किया गया है।
- आपने भवन के बाहर मकान नम्बर का प्रदर्शन अवश्य करें।

प्रतिलिपि-

- उपयुक्त (असेसमेंट एव सर्वे) की ओर जानकारी एवं संबंधित खाते में आवश्यक दस्तावेज करने के आदेश हेतु प्रस्तुत।

S/D

सहायक (राजस्व अधिकारी) नगर पालिका निगम, इन्दौर